

09/06/21

पत्रावली वालि रिक्ति प्रे इग उमर फर
उप। विभागात यत्नास लीकार विभागात यत्नास
ली विभागात यत्नास लीकार विभागात यत्नास
पत्रावली

आदेशात यत्नास यत्नास

उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00047



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 08

दायर दिनांक : 19.01.2017

राकेश कुमार पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह (फौत) जरिये वारिस :-

1. पूनम कुमारी पत्नी स्व. राकेश कुमार पुत्र वीर विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
2. साहिल डडवाल पुत्र स्व. राकेश कुमार (नाबालिग) जरिये कुदरती वली माता पूनम कुमारी पत्नी स्व. राकेश कुमार जाति राजपूत निवासी मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
3. शान्ति देवी पत्नी वीर विरेन्द्र सिंह माता स्व. राकेश कुमार जाति राजपूत निवासी मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

—वादीगण



बनाम

1. शमशेरसिंह पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह
 2. परमेश्वरीदेवी पत्नी वीर सुरेन्द्रसिंह
 3. संजीव कुमार पुत्र वीर सुरेन्द्रसिंह
 4. वीर रणधीरसिंह पुत्र महलासिंह
 5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जरिये पैरोकार राज
- अकवाम राजपूत
निवासीयान कतराह
तहसील देहरा
जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

—प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक वादीगण
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. श्री रामप्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 4
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 09.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते खाता विभाजन प्रस्तुत कर चक 8 एफ.डी.एम. तहसील

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

[08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य]
सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के संयुक्त खाता नं. 37/36 के पत्थर नं. 108/344 (14) में अंकित कुल 6.200 है० कमाण्ड एवं इसी चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 38/35 के पत्थर नं. 107/344 (13) में अंकित कुल 5.945 है० (5.820 है० कमाण्ड व 0.125 है० खाला), इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 12.145 है० (12.020 है० कमाण्ड व 0.125 है० खाला) खातेदारी भूमि के खातों को विभाजित कर वादी के हिस्से अनुसार रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर खाता विभाजन कर, वादी के हिस्से की भूमि का खाता अलग कायम किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।



वाद प्रस्तुत होने पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक 11.07.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ को उक्त जैरवाद खातेदारी भूमि वाके चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के संयुक्त खाता नं. 37/36 के पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 ता 20/5.060 है०, 21/2 में 0.228 है०, 22/1 में 0.228 है०, 23/2 में 0.228 है०, 24/1 में 0.228 है०, 25/1 में 0.228 है० = 6.200 है० कमाण्ड एवं इसी चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के संयुक्त खाता नं. 38/35 के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/1 में 0.202 है०, 2 ता 9/2.024 है०, 10/2 में 0.202 है०, 11/1 में 0.202 है०, 12 ता 19/2.024 है०, 20/2 में 0.202 है०, 21/3 में 0.177 है०, 22/2 में 0.228 है०, 23/1 में 0.228 है०, 24/2 में 0.228 है०, 25/1 में 0.228 है० = 5.945 है० (5.820 है० कमाण्ड व 0.125 है० खाला) भूमि का अच्छी में से अच्छी, खराब में से खराब के आधार पर, निर्मित ढाणियों, रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसार खाता विभाजन कर, वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 4 का अलग-अलग एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 का संयुक्त, स्पष्ट नक्शा सहित विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश पारित कर दिनांक 24.06.2024 को

क्रमशः पेज 3 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(3)

[08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य]
संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

आदेश व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.06.2024 की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने व अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली पुनः पेशी में ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आदेशों की पालना में खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 एफ.डी. एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/1 से 25/4 = 5.945 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 से 25/1 = 6.200 है0, कुल 12.145 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया :



वादीगण-पूनम कुमारी पत्नी राकेश कुमार, साहिल डडवाल पुत्र राकेश कुमार, शान्ति देवी पत्नी वीर विरेन्द्र सिंह अकवाम राजपूत निवासीयान मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 16/1 में 0.162 है0 दक्षिणी पासा, 16/3 में 0.013 है0 खाला, 17/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 18/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 19/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 20/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 21/4 में 0.025 है0 उत्तरी पासा, 22/2 में 0.026 है0 उत्तरी पासा, 23/2 में 0.026 है0 उत्तरी पासा, 24/3 में 0.026 है0 उत्तरी पासा, 25/5 में 0.012 है0 खाला, 25/6 में 0.014 है0 उत्तरी पासा = 1.004 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 16/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 17/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 18/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 19/1 में 0.175 है0 दक्षिणी पासा, 20/1 में 0.176 है0 दक्षिणी पासा, 21/3 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 22/2 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 23/3 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 24/2 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 25/2 में 0.028 है0 उत्तरी पासा = 1.020 है0, कुल 2.024 है0 एवं प्रतिवादी सं. 1-शमशेरसिंह पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/2 में 0.068 है0 उत्तरी पासा, 21/3 में 0.152 है0 दक्षिणी पासा, 22/2 में 0.202 है0 दक्षिणी पासा, 23/2 में 0.202 है0 दक्षिणी पासा, 24/1 में 0.202

क्रमशः पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(4)


{08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य}

है0 दक्षिणी पासा, 25/3 में 0.189 है0 दक्षिणी पासा, 25/4 में 0.013 है0 खाला =1.028 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 21/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 22/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 23/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 24/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 25/2 में 0.200 है0 दक्षिणी पासा = 0.996 है0, कुल 2.024 है0 एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 - परमेश्वरीदेवी पत्नी वीर सुरेन्द्रसिंह, संजीव कुमार पुत्र वीर सुरेन्द्रसिंह अकवाम राजपूत निवासीयान कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/4 में 0.067 है0 मध्य भाग, 9/2 में 0.170 है0 पश्चिमी पासा, 10/2 में 0.202 है0, 11/1 में 0.202 है0, 12 से 14/0.759 है0, 15/1 में 0.025 है0 खाला, 15/2 में 0.228 है0, 16/3 में 0.012 है0 खाला, 16/4 में 0.068 है0 उत्तरी पासा, 17/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 18/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 19/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 20/3 में 0.027 है0 उत्तरी पासा = 1.992 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 9/2 में 0.150 है0 पश्चिमी पासा, 10/0.253 है0, 11 से 15/1.265 है0, 16/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 17/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 18/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 19/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 20/2 में 0.077 है0 उत्तरी पासा = 2.057 है0, कुल 4.049 है0 एवं प्रतिवादी सं. 4 - वीर रणधीरसिंह पुत्र महलासिंह जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/5 में 0.067 है0 दक्षिणी पासा (किला नं. 10 के चिपता), 2 से 8/1.771 है0, 9/1 में 0.083 है0 पूर्वी पासा = 1.921 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 से 8/2.024 है0, 9/1 में 0.103 है0 पूर्वी पासा = 2.127 है0, कुल 4.048 है0



उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त होने पर पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान के अभिभाषकगण ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित किये एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव

क्रमशः पेज 5 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(5)

[08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य]

एवं नक्शा जैरवाद भूमि का खाता विभाजन कर अलग-अलग खाता कायम किये जाने की प्रार्थना की। साथ ही अभिभाषक वादीगण ने निवेदन किया कि यह वाद वादीया सं. 1 के पति, वादी सं. 2 के पिता व वादीया सं. 3 के पुत्र राकेश कुमार पुत्र विरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किन्तु वाद चलन के दौरान वादीगण के पति/पिता/पुत्र राकेश कुमार का स्वर्गवास हो जाने पर मुताबिक वारिसनामा वादीगण सं. 1 से 3 को बतौर वारिस वादी राकेश कुमार वादीगण संयोजित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई है एवं इसी अनुसार राकेश कुमार के हिस्सा की 1/6 हिस्सा भूमि का वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि जैरवाद भूमि की जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता/पुत्र राकेश कुमार पुत्र वीरविरेन्द्रसिंह ही अंकित है, इसलिए अन्तिम डिक्री में राकेश कुमार पुत्र वीरविरेन्द्रसिंह के नाम अंकित 1/6 हिस्सा भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने व वादीगण का खाता अलग कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की, जिस पर अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा स्वीकार कर पक्षकारान का खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 44/37 के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/1 से 25/4 = 5.945 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 से 25/1 = 6.200 है0, कुल 12.145 है0 (12.020 है0 कमाण्ड व 0.125 है0 खाला) भूमि में राकेश कुमार पुत्र वीरविरेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा. मानगढ़ तह. फतेहपुर जिला कांगड़ा के नाम अंकित 1/6 हिस्सा भूमि उसके वारिसान वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर अंकित करते हुए, निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः पेज 6 पर

(6)

[08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य]

वादीगण - पूनम कुमारी पत्नी राकेश कुमार, साहिल उडवाल पुत्र राकेश कुमार, शान्ति देवी पत्नी वीर विरेन्द्र सिंह अकवाम राजपूत निवासीयान मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम बहिस्सा बराबर - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 16/1 में 0.162 है० दक्षिणी पासा, 16/3 में 0.013 है० खाला, 17/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 18/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 19/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 20/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 21/4 में 0.025 है० उत्तरी पासा, 22/2 में 0.026 है० उत्तरी पासा, 23/2 में 0.026 है० उत्तरी पासा, 24/3 में 0.026 है० उत्तरी पासा, 25/5 में 0.012 है० खाला, 25/6 में 0.014 है० उत्तरी पासा = 1.004 है० एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 16/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 17/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 18/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 19/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 20/1 में 0.176 है० दक्षिणी पासा, 21/3 में 0.029 है० उत्तरी पासा, 22/2 में 0.029 है० उत्तरी पासा, 23/3 में 0.029 है० उत्तरी पासा, 24/2 में 0.029 है० उत्तरी पासा, 25/2 में 0.028 है० उत्तरी पासा = 1.020 है०, कुल 2.024 है० (1.999 है० कमाण्ड व 0.025 है० खाला) एवं प्रतिवादी सं. 1 - शमशेरसिंह पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/2 में 0.068 है० उत्तरी पासा, 21/3 में 0.152 है० दक्षिणी पासा, 22/2 में 0.202 है० दक्षिणी पासा, 23/2 में 0.202 है० दक्षिणी पासा, 24/1 में 0.202 है० दक्षिणी पासा, 25/3 में 0.189 है० दक्षिणी पासा, 25/4 में 0.013 है० खाला = 1.028 है० एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 21/2 में 0.199 है० दक्षिणी पासा, 22/2 में 0.199 है० दक्षिणी पासा, 23/2 में 0.199 है० दक्षिणी पासा, 24/2 में 0.199 है० दक्षिणी पासा, 25/2 में 0.200 है० दक्षिणी पासा = 0.996 है०, कुल 2.024 है० (2.011 है० कमाण्ड व 0.013 है० खाला) एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 - परमेश्वरीदेवी पत्नी वीर सुरेन्द्रसिंह, संजीव कुमार पुत्र वीर सुरेन्द्रसिंह अकवाम राजपूत निवासीयान

क्रमशः पेज 7 पर



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(7)

[08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य]

कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम बहिस्सा बराबर – चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/4 में 0.067 है0 मध्य भाग, 9/2 में 0.170 है0 पश्चिमी पासा, 10/2 में 0.202 है0, 11/1 में 0.202 है0, 12 से 14/0.759 है0, 15/1 में 0.025 है0 खाला, 15/2 में 0.228 है0, 16/3 में 0.012 है0 खाला, 16/4 में 0.068 है0 उत्तरी पासा, 17/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 18/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 19/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 20/3 में 0.027 है0 उत्तरी पासा = 1.992 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 9/2 में 0.150 है0 पश्चिमी पासा, 10/0.253 है0, 11 से 15/1.265 है0, 16/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 17/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 18/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 19/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 20/2 में 0.077 है0 उत्तरी पासा = 2.057 है0, कुल 4.049 है0 (4.012 है0 कमाण्ड व 0.037 है0 खाला) तथा प्रतिवादी सं. 4 – वीर रणधीरसिंह पुत्र महलासिंह जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम – चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/5 में 0.067 है0 दक्षिणी पासा (किला नं. 10 के चिपता), 2 से 8/1.771 है0, 9/1 में 0.083 है0 पूर्वी पासा = 1.921 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 से 8/2.024 है0, 9/1 में 0.103 है0 पूर्वी पासा = 2.127 है0, कुल 4.048 है0 (3.998 है0 कमाण्ड व 0.050 है0 खाला) भूमि का तहसीलदार सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग-अलग खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त पक्षकारान में से यदि किसी पक्षकार का रकबा रिकॉर्ड में रहन अंकित हो तो उस पक्षकार के नाम से रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार खातेदार के नाम के आगे अंकित किया जावे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक ...09...06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (कांगड़ा जिला)

(आ० 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अन्तिम डिक्री बमुकदम इब्तादाई

अज अदालत
बड़जलास

- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
- सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :-

राकेश कुमार पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह (फौत) जरिये वारिस :-

1. पूनम कुमारी पत्नी स्व. राकेश कुमार पुत्र वीर विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
2. साहिल डडवाल पुत्र स्व. राकेश कुमार (नाबालिग) जरिये कुदरती वली माता पूनम कुमारी पत्नी स्व. राकेश कुमार जाति राजपूत निवासी मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
3. शान्ति देवी पत्नी वीर विरेन्द्र सिंह माता स्व. राकेश कुमार जाति राजपूत निवासी मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

-वादीगण

बनाम

1. शमशेरसिंह पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह
2. परमेश्वरीदेवी पत्नी वीर सुरेन्द्रसिंह
3. संजीव कुमार पुत्र वीर सुरेन्द्रसिंह
4. वीर रणधीरसिंह पुत्र महासिंह
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जरिये पैरोकार राज

अकवाम राजपूत

निवासीयान कतराह

तहसील देहरा

जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 08 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रुबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री लेखराज देरासरी, व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री राकेश सारस्वत एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 श्री राम प्रताप तिवाड़ी तथा राज पैरोकार नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर अन्तिम डिक्री जारी कर निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है :

तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 44/37 के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/1 से 25/4 = 5.945 है० एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 से 25/1 = 6.200 है०, कुल 12.145 है० (12.020 है० कमाण्ड व 0.125 है० खाला) भूमि में राकेश कुमार पुत्र वीरविरेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा. मानगढ़ तह. फतेहपुर जिला कांगड़ा के नाम अंकित 1/6 हिस्सा भूमि उसके वारिसान वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर अंकित करते हुए, निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :

वादीगण - पूनम कुमारी पत्नी राकेश कुमार, साहिल डडवाल पुत्र राकेश कुमार, शान्ति देवी पत्नी वीर विरेन्द्र सिंह अकवाम राजपूत निवासीयान मानगढ़ तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम बहिस्सा बराबर - चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 16/1 में 0.162 है० दक्षिणी पासा, 16/3 में 0.013 है० खाला, 17/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 18/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 19/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 20/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 21/4 में 0.025 है० उत्तरी पासा, 22/2 में 0.026 है० उत्तरी पासा, 23/2 में 0.026 है० उत्तरी पासा, 24/3 में 0.026 है० उत्तरी पासा, 25/5 में 0.012 है० खाला, 25/6 में 0.014 है० उत्तरी पासा = 1.004 है० एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 16/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 17/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 18/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 19/1 में 0.175 है० दक्षिणी पासा, 20/1 में 0.176 है० दक्षिणी पासा, 21/3 में 0.029 है० उत्तरी पासा,

क्रमशः पेज 2 पर



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(2)

(अन्तिम डिक्री प्र.स. 08/2017 राकेश कुमार (फौत) जरिये वारिसान पूनम कुमारी वगैरह बनाम शमशेर सिंह व अन्य)

22/2 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 23/3 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 24/2 में 0.029 है0 उत्तरी पासा, 25/2 में 0.028 है0 उत्तरी पासा = 1.020 है0, कुल 2.024 है0 (1.999 है0 कमाण्ड व 0.025 है0 खाला) एवं प्रतिवादी सं. 1 – शमशेरसिंह पुत्र वीर विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम – चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/2 में 0.068 है0 उत्तरी पासा, 21/3 में 0.152 है0 दक्षिणी पासा, 22/2 में 0.202 है0 दक्षिणी पासा, 23/2 में 0.202 है0 दक्षिणी पासा, 24/1 में 0.202 है0 दक्षिणी पासा, 25/3 में 0.189 है0 दक्षिणी पासा, 25/4 में 0.013 है0 खाला = 1.028 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 21/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 22/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 23/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 24/2 में 0.199 है0 दक्षिणी पासा, 25/2 में 0.200 है0 दक्षिणी पासा = 0.996 है0, कुल 2.024 है0 (2.011 है0 कमाण्ड व 0.013 है0 खाला) एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 – परमेश्वरीदेवी पत्नी वीर सुरेन्द्रसिंह, संजीव कुमार पुत्र वीर सुरेन्द्रसिंह अकवाम राजपूत निवासीयान कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम बहिस्सा बराबर – चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/4 में 0.067 है0 मध्य भाग, 9/2 में 0.170 है0 पश्चिमी पासा, 10/2 में 0.202 है0, 11/1 में 0.202 है0, 12 से 14/0.759 है0, 15/1 में 0.025 है0 खाला, 15/2 में 0.228 है0, 16/3 में 0.012 है0 खाला, 16/4 में 0.068 है0 उत्तरी पासा, 17/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 18/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 19/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 20/3 में 0.027 है0 उत्तरी पासा = 1.992 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 9/2 में 0.150 है0 पश्चिमी पासा, 10/0.253 है0, 11 से 15/1.265 है0, 16/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 17/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 18/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 19/2 में 0.078 है0 उत्तरी पासा, 20/2 में 0.077 है0 उत्तरी पासा = 2.057 है0, कुल 4.049 है0 (4.012 है0 कमाण्ड व 0.037 है0 खाला) तथा प्रतिवादी सं. 4 – वीर रणधीरसिंह पुत्र महलासिंह जाति राजपूत निवासी कतराह तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम – चक 8 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 107/344 (13) के किला नं. 1/5 में 0.067 है0 दक्षिणी पासा (किला नं. 10 के चिपता), 2 से 8/1.771 है0, 9/1 में 0.083 है0 पूर्वी पासा = 1.921 है0 एवं पत्थर नं. 108/344 (14) के किला नं. 1 से 8/2.024 है0, 9/1 में 0.103 है0 पूर्वी पासा = 2.127 है0, कुल 4.048 है0 (3.998 है0 कमाण्ड व 0.050 है0 खाला) भूमि का तहसीलदार सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अलग-अलग खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त पक्षकारान में से यदि किसी पक्षकार का रकबा रिकॉर्ड में रहन अंकित हो तो उस पक्षकार के नाम से रहन का अंकन पूर्व अनुसार पक्षकार खातेदार के नाम के आगे अंकित किया जावे।

नोजx..... मुबलिंगx..... बाबतx..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरहx..... फसदों की पालनाx.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
जमाबन्दी अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)